भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2325

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

बैंक एनपीए की वसूली

2325. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः डॉ. निशिकांत दूबेः
श्री रवि किशनः श्री प्रतावराव जाधवः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री रविन्दर कुशवाहाः श्री सुधीर गुप्ताः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में और देश के बाहर ऋण-चूककर्ताओं के मामलों पर सक्रियता से कार्रवाई कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मान्यता, समाधान, पूँजीकरण और सुधार संबंधी '4आर' रणनीति एनपीए को कम करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रणनीति के माध्यम से कितनी राशि की वसूली की गई है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सहित देश भर के प्रत्येक नागरिक को मिले?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों के पास अपने बोर्डों द्वारा विधिवत रूप से जाँची-परखी ऋण वसूली नीति होनी चाहिए, जो बकाए की वसूली, एनपीए में कमी आदि के तरीके को निर्धारित करती है और बैंक अपनी वसूली नीतियां तदनुसार बनाते हैं और उसी के अनुसार वसूली योजनाएं तैयार करते हैं। बैंक अनेक उपलब्ध वसूली तंत्र, जैसे कि सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में मामला दायर करने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करने, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करने, वार्ता के आधार पर निपटान/समझौते के माध्यम से तथा अनुप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री के माध्यम से बट्टे खाते डाले गए खातों में शुरू की गयी वसूली की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय क्षेत्राधिकार से भागने वाले इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को भगोड़े अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और उन्हें किसी भी नागरिक दावे का बचाव करने से रोक दिया गया है। पीएसबी के प्रमुखों को भी सशक्त बनाया गया है ताकि वे लुक-आउट सर्कुलर जारी कर सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अपने वैश्विक परिचालनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कतिपय मामलों में इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार, इत्यादि के साथ-साथ इस अवधि के दौरान आक्रामक उधार

पद्धतियों, आर्थिक मंदी आदि दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारण हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियोंके लिए प्रावधान किए गए, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, एससीबी का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार 3,23,464 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 10,36,187 करोड़ रुपए हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2021 को कम होकर 8,35,051 करोड़ रुपए हो गया।

एनपीए को नियंत्रित करने तथा इसकी वसूली करने हेतु सरकार द्वारा 4आर कार्यनीति के अंतर्गत उठाए गए कदमों सहित व्यापक कदम उठाए गए थे, जिससे विगत सात वित्तीय वर्ष के दौरान एससीबी द्वारा 7,19,544 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वसूली की जा सकी। उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव किया गया, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने हेतु कॉरपोरेट उधारकर्त्ता के वयैक्तिक गारंटीदाता को आईबीसी के दायरे में लाया गया है। आईबीसी के अंतर्गत, जून 2021 तक 394 मामलों में समाधान योजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसमें वित्तीय लेनदारों द्वारा 2.45 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूली गयी है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा बंधक रखी गई संपत्ति पर उधारदाता द्वारा 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का उपबंध करके इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

(3) आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं को बैंकों अथवा वित्तीय संस्था द्वारा कोई भी अतिरिक्त ऋण मंजूर नहीं किया जाता है तथा उनकी इकाई को पांच वर्षों के लिए नए उपक्रम आरंभ करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

(4) इरादतन चूककर्ताओं तथा वैसी कंपनियों जिनके प्रवर्तक/निदेशक इरादतन चूककर्ता हैं, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2016 के माध्यम से निधि जुटाने हेतु पूंजी बाजार का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(5) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है ताकि वे अधिक मूल्य वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें, जिसके फलस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने उच्चतर वसूली की है। वसूली को गति प्रदान करने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गयी है।

(6) पीएसबी द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने में सरकार के निवेश से हुई सहायता के फलस्वरूप पीएसबी ने दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 83.7% का उच्च प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात प्राप्त कर लिया है, जिससे पीएसबी अपनी लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले ऐसे निर्णयों तक सीमित हुए बिना एनपीए के समाधान के संबंध में निर्णय लेने में समर्थ हुए हैं।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में पीएसबी में किए गए मुख्य सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बैंकों में चूक की रोकथाम ध्यानपूर्वक करने, वसूली प्रबंधन तथा बड़े मूल्य की दबावग्रस्त आस्ति के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की गई थी।

(ii) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में संवितरण से पूर्व आवश्यक निकासी/अनुमोदन तथा ऋण के लिंकेज को संबद्ध करने, समूह तुलन-पत्र की संवीक्षा तथा नकदी प्रवाह की रिंग फेंसिंग करने और परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि तथा अंतिम जोखिम कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का अधिदेश दिया गया है।

(iii) समस्त आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक् तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों के उपयोग को शुरू किया गया है ताकि मिथ्या प्रस्तुति तथा धोखाधड़ी के जोखिम को कम किया जा सके।

(iv) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति को निगरानी की भूमिकाओं से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(v) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

(घ): केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की घोषणा समय-समय पर की जाती है तथा उन्हें जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) सहित देश भर में क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी/समीक्षा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है ताकि इन योजनाओं के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इसके अतिरिक्त, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बागवानी, कौशल विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र हेतु दिनांक 7.11.2015 को प्रधानमंत्री विकास पैकेज – 2015 (पीएमडीपी) की घोषणा की गई थी। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ पीएमडीपी की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

*****